न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–11/2020

पार्वतीदेवी पत्नी जेठाराम जाति नायक उम्र 62 वर्ष निवासी 1 एसजेएम करणीसर तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

––––**प्रार्थीया**

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

–––––**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांक–12.01.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीया के पति जेठाराम के नाम से चक 1 एसजेएम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–6 पत्थर सं.–243/380 का किला नम्बर 1ता10 की कुल 2.479 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि विरास्तन प्रार्थीया व अन्य वारिसान के नाम से दर्ज हो चुकी है। राजस्व अभिलेख में प्रार्थीया व अन्य वारिसान के नाम की प्रविष्ठि करते समय सहबन से प्रार्थीया के पति का नाम जेठाराम के स्थान पर गलत रूप से चन्दुराम दर्ज कर लिया गया, जबकि चन्दुराम प्रार्थीया का ससुर था और प्रार्थीया के पति का नाम जेठाराम है उक्त त्रुटि सहवन से मानवीय भूल वश रिकॉर्ड तैयार करते समय हुई है। प्रार्थीया ग्रामीण परिवेश का काश्तकार परिवार की है। प्रार्थीया को पूर्व में उक्त गलत नाम की त्रुटि का इल्म नही हो सका। अब प्रार्थीया द्वारा जब अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर ऋण संबंधी पत्रावली तैयार करवाने पटवारी हल्का के पास गयी ओर उसे अपने दस्तावेजात दिखाये तो पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीया को बताया गया कि आपके पति का नाम चन्दुराम दर्ज है जो सहबन से गलती से दर्ज हो गया इसलिए आप अपने सही नाम की दुरूस्ती करवाकर लावें। जिस पर प्रार्थीया तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष दिनांक 01.07.2020 का दर्ज उपस्थित हुई ओर अपने पति के गलत नाम चन्दुराम के स्थान पर सही नाम जेठाराम दर्ज कर दुरूस्ती करने का निवेदन किया तो उन्होनें कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आवें इसलिए प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीया के पति का सही वा वास्तविक नाम जेठाराम है जबकि चन्दुराम प्रार्थीया के ससुर का नाम है लेकिन जमाबंदी में प्रार्थीया के पति का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीया के समक्ष ऋण आदि में बाधा उत्पन्न हो रही है और भविष्य में भी गलत नाम होने के कारण प्रार्थीया को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। उक्त त्रुटि [illegible] रिकॉर्ड तैयार करते समय सहवन से कर्मचारियों की गलती से हुई है, जो न्यायहित में दुरूस्त की जानी न्यायोचित [illegible]

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट [illegible] दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट चक 1 एसजेएम–ए के खसरा नं. 25 प.नं. 243/380 का 2.479 हैक्टर कमांड रकबा पार्वतीदेवी पत्नि चन्दूराम, जगदीश प्रसाद, दीवानचन्द, संतरोदेवी, शारदा देवी, मदनलाल पिसरान चन्दूराम जाति नायक प्रत्येक 1/6 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.17 15:29:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। यह रकबा प्रार्थीया के पति जेठाराम पुत्र चन्दूराम के नाम था जिनकी मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर विरास्तन् इन्तकाल नं. 176 खोला गया जिसमें प्रार्थीया के पति जेठाराम के स्थान पर ससुर चन्दूराम का नाम व वारिसों के पिता का नाम भी जेठाराम के स्थान पर सहवन से दादा का नाम चन्दूराम अंकित हो गया, जो कि प्रार्थीया के पति जेठाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र और इंतकाल सं.176 दिनांक 20.05.2014 की प्रतिलिपियों के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थीया से प्राप्त दस्तावेज को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान प्रविष्टि में पार्वतीदेवी पत्नि चन्दूराम, जगदीश प्रसाद, दीवानचन्द, संतरोदेवी, शारदा देवी, मदनलाल पि. चन्दूराम के स्थान पर पार्वतीदेवी पत्नि जेठाराम जगदीश प्रसाद, दीवानचन्द, संतरोदेवी, शारदा देवी, मदनलाल पि. जेठाराम की दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने संबंधी स्वीकार योग्य होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक1 एसजेएम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–6 पत्थर सं.–243/380 का किला नम्बर 1ता10 की कुल 2.479 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि विरासतन की राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान प्रविष्टि पार्वतीदेवी पत्नि चन्दूराम, जगदीश प्रसाद, दीवानचन्द, संतरो, शारदा देवी, मदनलाल पि. चन्दूराम के स्थान पर पार्वतीदेवी पत्नि जेठाराम जगदीश प्रसाद, दीवानचन्द, संतरो, शारदा देवी, मदनलाल पि. जेठाराम की दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावें। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.01.17 15:29:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner